

नगर कार्यपालिकाबाट पारित मिति :२०८०/०९/२३

प्रमाणीकरण मिति :२०८०/०९/२४



गोदावरी नगरपालिकाको  
शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (पहिलो संशोधन)

गोदावरी नगरपालिका  
कैलाली जिल्ला  
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

| साविकको व्यवस्था |   | संशोधित विवरण |   |
|------------------|---|---------------|---|
| दफा              | विवरण   | दफा           | विवरण   |
| ४                | <p><b>बालविकास :</b></p> <p>(१) प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा कम्तिमा एउटा बालविकास केन्द्र रहनेछ ।</p> <p>(२) उपनियम १ बमोजिमको व्यवस्था पश्चात विद्यार्थी संख्या र भूगोलका आधारमा बालविकास केन्द्रको पुनर्वितरण गरिनेछ ।</p> <p>(३) बालविकास केन्द्रको समायोजन गर्दा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात सामान्यतया १:२० को आधार लिइनेछ । तर सो अनुपात भन्दा बढी भएको अवस्थामा २५-४४ जना विद्यार्थी भएमा २ जना, ४५-६४ जना भएमा ३ जना, ६५-८४ जना भएमा ४ जना र ८५ देखि माथि जतिसुकै भएमा ५ जना बालविकास शिक्षकको दरबन्दी रहनेछ ।</p> <p>(४) बालविकास शिक्षकहरूले यो कार्यविधि प्रारम्भ भएको मितिले २ वर्षभित्र आफ्नो योग्यता अभिवृद्धि गरी कम्तिमा १० कक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ ।</p> <p>(५) बालविकास केन्द्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई विद्यार्थी संख्याका आधारमा एक केन्द्रबाट अर्कोमा स्थानान्तरण गर्दा आवश्यकता र नियुक्तिको कनिष्ठताका आधारमा गरिनेछ ।</p> | ४             | <p><b>बालविकास</b></p> <p>१. प्रत्येक विद्यालयमा कम्तिमा १ बालविकास केन्द्र रहनेछ । विद्यार्थी संख्या २१ देखि ४० सम्म भएमा २, ४१ देखि ६० सम्म भएमा ३ र ६१ वा सो भन्दा माथि विद्यार्थी संख्या भएमा ४ जना बालविकास सहजकर्ता रहनेछन् । तर थप बालविकास कोटा निर्धारण गर्दा थप हुने संख्याको कम्तिमा ५० प्रतिशत विद्यार्थी हुनु पर्नेछ ।</p> <p>२. बालविकास सहजकर्ताको योग्यता कम्तिमा SEE उत्तीर्ण भएको हुनु पर्नेछ । SEE उत्तीर्ण नभएका कार्यरत बालविकास सहजकर्ताले यो कार्यविधि पहिलो संशोधन भएको मितिले ४ वर्ष भित्र SEE उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ ।</p> <p>३. विद्यालयमा रहने दरबन्दी भन्दा बढी हुन आएको बालविकास सहजकर्तालाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिशमा बालविकास सहजकर्ताहरूले गरेको सहमति वा नियुक्ति मितिको कनिष्ठताका आधारमा बालविकास सहजकर्तालाई अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरणको लागि नगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरेको मितिले १५ दिन भित्र विद्यालयले नगरपालिकामा लेखी पठाउनुपर्नेछ । तोकिएको अवधिभित्र विद्यालयले विवरण पेश नगरेमा नगरपालिकाले विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रकम रोक्का गरी बालविकास सहजकर्ताको स्थानान्तरण नगरपालिकाले गर्नेछ ।</p> <p>४. गोदावरी नगरपालिकाका वडा नं ४ र १२ का पहाडी क्षेत्रमा स्थानान्तरण भएका बालविकास सहजकर्तालाई नगरपालिकाले प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । तर स्थानीय बालविकास सहजकर्ताको हकमा यो नियम लागू हुने छैन ।</p> <p>५. बालविकास केन्द्रमा विद्यार्थी संख्या बढ्न गइ गोदावरी नगरपालिकामा मौजुदा रहेको बालविकास कोटा अपुग भएमा नगरपालिकाले आवश्यक संख्यामा बालविकास सहजकर्ताको थप दरबन्दी सृजना गर्न सक्नेछ ।</p> <p>६. बालविकास सहजकर्ताले स्थानान्तरण भएको</p> |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | विद्यालयमा स्थानान्तरणको पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र हाजिरी गर्नु पर्नेछ ।  |
| ५ | <p><b>शिक्षक दरबन्दी मिलान एवं समायोजन :</b></p> <p>(१) प्रचलित ऐन, नियम, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विद्यालयहरूका लागि राज्यबाट आजका मिति सम्म प्राप्त शिक्षक सुविधाहरूको पुनर्वितरण गरिनेछ,</p> <p>(२) स्थायी, अस्थायी, राहत र नगरपालिकाबाट अनुदान प्राप्त शिक्षकहरू विद्यालयको आवश्यकता अनुरूप एक आपसमा मिलान गर्न सकिनेछ,</p> <p>(३) दरबन्दी मिलान गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा कम्तिमा कक्षा(१-३)सम्म २ जना, कक्षा ( १-५) सम्म ३ जना, कक्षा (६-८) का लागि कम्तिमा ३ जना, कक्षा (९-१०) लागि कम्तिमा ५ जना र कक्षा (११-१२) का लागि कम्तिमा २ जना शैक्षिक जनशक्तिको सुनिश्चितता गरिनेछ । तर यसरी गरिने व्यवस्थामा माध्यमिक तह कक्षा ( ९-१२) का लागि कम्तिमा ७ जना शिक्षकको व्यवस्था भन्ने बुझ्नुपर्नेछ ।</p> <p>(४) यस बुँदाको उपबुदा (३) लाई पहिलो आधार र दोस्रो आधार विद्यार्थी संख्यालाई लिइनेछ ।</p> <p>(५) बालविकास बाहेकका कक्षामा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १:५० लाई आधार मानी शिक्षक समायोजन तथा दरबन्दी मिलान गरिनेछ ।</p> <p>(६) विद्यालय गाभिने संभावना रहेको साथै कक्षा (१-३) र कक्षा (१-५) क्रमशः न्यूनतम २० जना र ५० जना भन्दा कम विद्यार्थी भएका प्राथमिक विद्यालयहरूमा यस कार्यविधिको बुदा (५) आर्कषित हुने छैन ।</p> <p>(७) विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न शिक्षक र नगर शिक्षा समितिको अनुमति लिई शिक्षा, युवा तथा खेलकूद शाखाबाट शिक्षकहरूको काज सरुवा गर्न सकिनेछ ।</p> | ५ | <p><b>विद्यालयमा रहने शिक्षक दरबन्दी र शिक्षक स्थानान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था</b></p> <p>१. आधारभूत तह (कक्षा १-३ ) सञ्चालन भएको विद्यालयमा कम्तिमा २ वटा शिक्षक दरबन्दी रहनेछ । विद्यार्थी संख्या ५१ भन्दा बढी भएमा कम्तिमा ३ जना शिक्षकको दरबन्दी रहनेछ ।</p> <p>२. आधारभूत तह (कक्षा १-५ ) सञ्चालन भएको विद्यालयमा कम्तिमा ४ वटा शिक्षक दरबन्दी रहनेछ । विद्यार्थी संख्या ८० देखि २०० सम्म भएमा ५, २०१ देखि ३०० सम्म भएमा ६, ३०१ देखि ४०० सम्म भएमा ७, ४०१ देखि ५०० सम्म भएमा ८ र ५०१ भन्दा बढी भएमा अधिकतम ९ वटा शिक्षक दरबन्दी रहन सक्नेछ ।</p> <p>३. आधारभूत तह (कक्षा ६-८ ) मा कम्तिमा ४ वटा विषयगत शिक्षक दरबन्दी रहनेछ । विद्यार्थी संख्या १५१ देखि २०० सम्म भएमा ५, २०१ देखि २५० सम्म भएमा ६, २५१ देखि ३०० भएमा ७ र ३०१ भन्दा बढी भएमा अधिकतम ८ वटा शिक्षक दरबन्दी रहन सक्नेछ ।</p> <p>४. माध्यमिक तह (कक्षा ९-१०) मा कम्तिमा ५ वटा विषयगत शिक्षक दरबन्दी रहनेछ ।</p> <p>५. माध्यमिक तहमा शिक्षक दरबन्दी थप गर्दा माध्यमिक तहका लागि योग्यता पुगेका आधारभूत तहका शिक्षकहरूलाई समेत माध्यमिक तहमा अध्यापन गर्नका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।</p> <p>६. माध्यमिक तहमा शिक्षक दरबन्दी थप गर्दा आधारभूत तहका योग्यता पुगेका शिक्षकहरूले समेत अपुग हुने देखिएमा विद्यार्थी संख्या १०१ देखि १५० सम्म ६, १५१ देखि २०० सम्म भएमा ७, २०१ देखि २५० भएमा ८, २५० देखि ३०० भएमा ९ र ३०१ भन्दा बढी विद्यार्थी भएमा १० वटा शिक्षक दरबन्दी रहन सक्नेछ ।</p> <p>७. विद्यालयहरूमा थप दरबन्दी वितरण गर्दा थप दरबन्दीका लागि चाहिने विद्यार्थी संख्याको न्यूनतम सीमा र अधिकतम सीमाको फरकको कम्तिमा ५० प्रतिशत विद्यार्थी संख्या भएको हुनु पर्नेछ ।</p> <p>८. माध्यमिक तह (कक्षा ११-१२) मा शिक्षकको उपलब्धताका आधारमा विद्यालयमा</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ ।</p> <p>९. शिक्षक दरबन्दी मिलानको क्रममा स्थायी, करार, राहात, नगर शिक्षक र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूमा स्थानान्तरण गरिनेछ ।</p> <p>१०. विद्यालयमा रहने न्यूनतम शिक्षक दरबन्दी कायम गरिनेछ । प्रत्येक विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक दरबन्दी सुनिश्चित भएपछि मात्र विद्यालयहरूमा थप दरबन्दीको व्यवस्था गरिनेछ ।</p> <p>११. शिक्षकहरूलाई स्थानान्तरण गर्दा शिक्षकहरू बिचको सहमति तथा सो हुन नसकेमा नियुक्तिको कनिष्ठतालाई आधार मानी स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । शिक्षकहरूको स्थानान्तरण गर्दा अपाङ्गता भएका शिक्षक र महिला शिक्षकलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।</p> <p>१२. तह र विषय मिल्न गई शिक्षकहरूले पारस्परिक स्थानान्तरणका लागि निवेदन पेश गरेमा शिक्षकहरूको स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ ।</p> <p>१३. दरबन्दी मिलानको क्रममा बढी भएका शिक्षकलाई नगरपालिकाले पुल दरबन्दीको रूपमा राखी आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।</p> <p>१४. दरबन्दी मिलान गर्दा मौजुदा शिक्षकले अपुग हुन गएमा आवश्यकताका आधारमा नगरपालिकाले थप दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्नेछ ।</p> <p>१५. शिक्षकले स्थानान्तरण भएको विद्यालयमा स्थानान्तरणको पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र हाजिरी गर्नु पर्नेछ । निर्धारित समय भित्र हाजिर नभएमा नगरपालिकाले शिक्षकको तलब रोक्का गर्नेछ ।</p> <p>१६. शैक्षिक शत्र २०८० को विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिनेछ ।</p> <p>१७. शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नगर शिक्षा समितिको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।</p> <p>१८. शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्बन्धमा सहजीकरण गर्नको लागि शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा शिक्षाविद् तथा शिक्षाप्रेमी मध्येबाट नगर शिक्षा समितिले मनोनीत गरेका ४ जना सदस्य सहित ५ जना रहेको दरबन्दी मिलान सहजीकरण समिति रहनेछ ।</p> <p>१९. विद्यालयमा रहने शिक्षकहरूको विवरण अनुसूची १० मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।</p> |
|--|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <p>८ <b>विद्यालय गाभ्ने, कक्षा र तह व्यवस्थापन :</b></p> <p>(१) विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु पर्ने अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै देहायका आधारहरूमा विद्यालय गाभ्ने, तह वा कक्षा घटाउने सम्बन्धमा निर्णय लिइनेछ ।</p> <p>(क) भौगोलिक दुरी</p> <p>(ख) विद्यार्थी संख्या,</p> <p>(ग) विद्यालय परिवारको कार्यसम्पादन, आवश्यकता र औचित्य</p> <p>(२) उपनियम १ बमोजिमको कार्यमा सम्बन्धित सरोकारवाला( जनप्रतिनिधि, अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी) संग आवश्यक अन्तरक्रिया गरिनेछ ।</p> <p>(३) यसै शैक्षिक वर्षमा गाभ्नु पर्ने र अर्को शैक्षिक वर्षमा गाभ्नु पर्ने विद्यालयलाई प्राथमिकताका आधारमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।</p> <p>(४) आवश्यकता अनुसार कक्षा वृद्धि गर्नुपर्ने, तह वृद्धि गर्नुपर्ने, कक्षा घटाउनुपर्ने, विद्यालयहरूको अध्ययन विश्लेषण पश्चात एकिन गरी सिफारिस गरिनेछ ।</p> | <p>८ <b>विद्यालय समायोजन एवं एकीकरणका आधारहरू</b></p> <p>१. आधारभूत तह (कक्षा १-३) को हकमा विद्यार्थी संख्या ४५ भन्दा कम भएको वा विद्यालयहरू बीचको दूरी २ किलोमिटर भन्दा कम भएको ।</p> <p>२. आधारभूत तह (कक्षा १-५) को हकमा विद्यार्थी संख्या ७५ भन्दा कम भएको वा विद्यालयहरू बीचको दूरी २.५ किलोमिटर भन्दा कम भएको ।</p> <p>३. आधारभूत तह (कक्षा ६-८) को हकमा विद्यार्थी संख्या ४५ भन्दा कम भएको वा विद्यालयहरू बीचको दूरी ३ किलोमिटर भन्दा कम भएको ।</p> <p>४. माध्यमिक तह (कक्षा ९-१०) र (कक्षा ११-१२) को हकमा विद्यार्थी संख्या ३० भन्दा कम भएको वा विद्यालयहरू बीचको दूरी ४ किलोमिटर भन्दा कम भएको ।</p> <p>५. समुदायबाट पर्याप्त सहयोग हुन नसकी विद्यार्थी, शिक्षक तथा विद्यालयहरू बीच प्रतिस्पर्धात्मकता सिर्जना हुन नसकेका विद्यालयहरू तर गोदावरी नगरपालिका वडा नं ४ गोदावरी पुल तथा हाटखोली भन्दा माथि र वडा नं १२ का हलौडे भन्दा माथिका विद्यालयहरू र धार्मिक तथा समावेशी विद्यालयको हकमा माथि उल्लेखित आधारहरू लागू हुने छैनन् । साथै माध्यमिक तह सञ्चालन भइ आधारभूत तहमा विद्यालय समायोजनका लागि चाहिने न्यूनतम विद्यार्थी संख्या नभएमा समेत माथि उल्लेखित आधारहरू लागू हुने छैनन् ।</p> <p><b>विद्यालय समायोजन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था</b></p> <p>१. विद्यालय समायोजन भएर अर्को विद्यालयमा गएको अवस्थामा साविकको विद्यालयमा बालविकास केन्द्र र विद्यालय कर्मचारी रहन सक्नेछ ।</p> <p>२. विद्यालय समायोजन गर्दा नजिकको विद्यालयमा समायोजित गरिनेछ । विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ता लगायत जिन्सी सामग्री अन्य व्यवस्था नभएसम्म समायोजन भएर जाने विद्यालयका हुनेछन् । विद्यालयहरू समायोजन भएमा समायोजित विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वतः विघटन भएको मानिनेछ ।</p> <p>३. दुई वा दुई भन्दा बढी विद्यालयहरू एक</p> |
|---|---|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>आपसमा समायोजन हुने भएमा विद्यालयको भौतिक संरचना वा विद्यार्थी संख्यालाई आधार बनाइनेछ ।</p> <p>४. विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित वडाका वडा प्रतिनिधि सँग सल्लाह लिन सकिनेछ ।</p> <p>५. ठूला विद्यालयको अवधारणा, आवासीय विद्यालय सञ्चालन र नमूना विद्यालय विकास गर्न नगर शिक्षा समिति र सम्बन्धित विद्यालयको सहमतिमा सरोकारवालाहरु सँग छलफल र समन्वय गरी विद्यालय समायोजन गर्न सकिनेछ ।</p> |
|  |  |  | अनुसूची १० थप गरिएको  |

### अनुसूची - १०

#### क. कक्षा १-३ सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालय

| क्र.सं. | विद्यालयको नाम | वडा नं. | कुल विद्यार्थी सङ्ख्या | मौजुदा शिक्षक सङ्ख्या |            |     |               | दरबन्दी मिलान पछि कायम हुने शिक्षक सङ्ख्या |            |     |               | थप दरबन्दीका लागि पुगुपर्ने न्युनतम विद्यार्थी सङ्ख्या | कैफियत. |  |
|---------|----------------|---------|------------------------|-----------------------|------------|-----|---------------|--|------------|-----|---------------|--|---------|--|
|         |                |         |                        | स्थायी                | राहात/करार | नगर | शिक्षण अनुदान | स्थायी                                     | राहात/करार | नगर | शिक्षण अनुदान |  |         |  |
| १       |                |         |                        |                       |            |     |               |  |            |     |               |  |         |  |
| २       |                |         |                        |                       |            |     |               |  |            |     |               |  |         |  |
| ३       |                |         |                        |                       |            |     |               |  |            |     |               |  |         |  |

#### ख. कक्षा १-५ सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालय

| क्र.सं. | विद्यालयको नाम | वडा नं. | कुल विद्यार्थी सङ्ख्या | मौजुदा शिक्षक सङ्ख्या |            |     |               | दरबन्दी मिलान पछि कायम हुने शिक्षक सङ्ख्या |            |     |               | थप दरबन्दीका लागि पुगुपर्ने न्युनतम विद्यार्थी सङ्ख्या | कैफियत. |  |
|---------|----------------|---------|------------------------|-----------------------|------------|-----|---------------|--|------------|-----|---------------|--|---------|--|
|         |                |         |                        | स्थायी                | राहात/करार | नगर | शिक्षण अनुदान | स्थायी                                     | राहात/करार | नगर | शिक्षण अनुदान |  |         |  |
| १       |                |         |                        |                       |            |     |               |  |            |     |               |  |         |  |
| २       |                |         |                        |                       |            |     |               |  |            |     |               |  |         |  |
| ३       |                |         |                        |                       |            |     |               |  |            |     |               |  |         |  |

#### ग. कक्षा ६-८ सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालय

| क्र.सं. | विद्यालयको नाम | वडा नं. | कुल विद्यार्थी | विषय | मौजुदा शिक्षक सङ्ख्या | दरबन्दी मिलान पछि कायम हुने शिक्षक सङ्ख्या | थप दरबन्दीका | कैफियत. |
|---------|----------------|---------|----------------|------|-----------------------|--|--------------|---------|
|         |                |         |                |      |                       |  |              |         |

| क्र.सं. | विद्यालयको नाम | वडा नं. | कुल विद्यार्थी सङ्ख्या | विषय         | मौजुदा शिक्षक सङ्ख्या |           |     |               | दरबन्दी मिलान पछि कायम हुने शिक्षक सङ्ख्या |           |     |               | थप दरबन्दीका लागि पुग्नुपर्ने न्युनतम विद्यार्थी सङ्ख्या | कैफियत. |  |  |
|---------|----------------|---------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------|-----|---------------|--|-----------|-----|---------------|--|---------|--|--|
|         |                |         |                        |              | स्थायी                | राहात/कार | नगर | शिक्षण अनुदान | स्थायी                                     | राहात/कार | नगर | शिक्षण अनुदान |  |         |  |  |
| १       |                |         |                        | नेपाली       |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | अंग्रेजी     |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | गणित विज्ञान |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | सामाजिक      |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
| २       |                |         |                        | नेपाली       |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | अङ्ग्रेजी    |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | गणित विज्ञान |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | सामाजिक      |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
| ३       |                |         |                        | नेपाली       |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | अङ्ग्रेजी    |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | गणित विज्ञान |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | सामाजिक      |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
| ४       |                |         |                        | नेपाली       |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | अङ्ग्रेजी    |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | गणित विज्ञान |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | सामाजिक      |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
| ५       |                |         |                        | नेपाली       |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | अङ्ग्रेजी    |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | गणित विज्ञान |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | सामाजिक      |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
| ६       |                |         |                        | नेपाली       |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | अङ्ग्रेजी    |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | गणित विज्ञान |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | सामाजिक      |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
| ७       |                |         |                        | नेपाली       |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | अङ्ग्रेजी    |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | गणित विज्ञान |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | सामाजिक      |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |

### घ. कक्षा ९-१० सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालय

| क्र.सं. | विद्यालयको नाम | वडा नं. | कुल विद्यार्थी सङ्ख्या | विषय     | मौजुदा शिक्षक सङ्ख्या |           |     |               | दरबन्दी मिलान पछि कायम हुने शिक्षक सङ्ख्या |           |     |               | थप दरबन्दीका लागि पुग्नुपर्ने न्युनतम विद्यार्थी सङ्ख्या | कैफियत. |  |  |
|---------|----------------|---------|------------------------|----------|-----------------------|-----------|-----|---------------|--|-----------|-----|---------------|--|---------|--|--|
|         |                |         |                        |          | स्थायी                | राहात/कार | नगर | शिक्षण अनुदान | स्थायी                                     | राहात/कार | नगर | शिक्षण अनुदान |  |         |  |  |
| १       |                |         |                        | नेपाली   |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | अंग्रेजी |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |
|         |                |         |                        | गणित     |                       |           |     |               |  |           |     |               |  |         |  |  |

|   |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |  | विज्ञान   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | सामाजिक   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ |  |  | नेपाली    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | अङ्ग्रेजी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | गणित      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | विज्ञान   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | सामाजिक   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ |  |  | नेपाली    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | अङ्ग्रेजी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | गणित      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | विज्ञान   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | सामाजिक   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ |  |  | नेपाली    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | अङ्ग्रेजी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | गणित      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | विज्ञान   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | सामाजिक   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ |  |  | नेपाली    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | अङ्ग्रेजी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | गणित      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | विज्ञान   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | सामाजिक   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ |  |  | नेपाली    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | अङ्ग्रेजी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | गणित      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | विज्ञान   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | सामाजिक   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ |  |  | नेपाली    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | अङ्ग्रेजी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | गणित      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | विज्ञान   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |
|---|
| प्रमाणित गर्ने,<br>विरेन्द्र भट्ट<br>नगर प्रमुख |
|---|